मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र./बोर्ड/लेखा/NPS/2018-19/5743 भोपाल दिनांक 18.11.2022

प्रति,

संयुक्त संचालक/उपसंचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय.......... (समस्त)

विषयः- एन.पी.एस. राशि भेजे जाने का कार्य आंचलिक कार्यालय स्तर से किये जाने हेतु।

विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 01.01.2023 से समस्त आंचलिक कार्यालयों, मंडी समितियां व तकनिकी संभागो में पदस्थ राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की एनपीएस राशि प्रतिमाह आंचलिक कार्यालय स्तर से ही भिजवायी जाना है । इस हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाना है :-

1. समस्त आंचलिक कार्यालयों को अधीनस्थ मंडी समितियों व तकनिकी संभागों (संलग्न तालिका क्रमांक - 01) में पदस्थ राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की एनपीएस राशि प्रतिमाह प्राप्त करने हेतु नवीन बैंक खाता दिनांक 24.11.2022 तक खुलवाया जाना है जिसका उपयोग एनपीएस राशि सम्बन्धी लेन देन हेतु किया जाएगा।

2. समस्त आंचलिक कार्यालय एनपीएस हेतु खुलवाये गये नवीन बैंक खाते की संपूर्ण जानकारी अधीनस्थ मंडी समितियों व तकनिकी संभागों को उपलब्ध करायेंगे, साथ ही यह भी सुनिश्चित करावें की 10 दिसंबर 2022 के बाद से कोई भी एनपीएस राशि मुख्यालय ना भिजवाते हुए दिनांक 01 जनवरी 2023 से आंचलिक कार्यालय के नवीन एनपीएस खाते में ही जमा करवायेगी।

3. नवीन बैंक खाता खुलवाने पश्चात् आंचलिक कार्यालयों को सीआरए द्वारा जारी प्रारूप Annexure N2 (संलग्न) में संपूर्ण जानकारी भर कर विशेष हस्तें दिनांक 30.11.2022 तक मुख्यालय भिजवाना होगा।

4. आंचलिक कार्यालय द्वारा अधिनस्थ मंडी समिति में पदस्थ NPS पात्रता वाले अधिकारियो/कर्मचारियों की वेतन से अंशदायी कटौत्रा + नियोक्ता अंशदान राशि की जानकारी ई अनुज्ञा पोर्टल पर दिए गये लॉगइन के माध्यम से प्राप्त होगी व यह राशि आंचलिक कार्यालय द्वारा खोले जाने वाले नवीन खाता में प्राप्त राशि से मिलान उपरांत सत्यापित करके ही आंचलिक कार्यालय द्वारा DDO/DTO लॉगिन से अधिकारियो/कर्मचारियों की वेतन से अंशदायी कटौत्रा + नियोक्ता अंशदान राशि की जानकारी NSDL की साईट पर (.fvu) बनाकर प्रतिमाह अपलोड किया जाना होगा।

5. इसके उपरांत NSDL की साईट पर कटौत्रा जानकारी अनुसार राशि भिजवाने हेतु चालान/आरटीजीएस फार्म (बैंक खाते की जानकारी सहित) जेनरेट होगा व तत्पश्चात् राशि आंचलिक कार्यालय द्वारा खुलवाये गये नवीन/रजिस्टर्ड बैंक खातें से NSDL के बैंक खाते में प्रतिमाह स्थानांतरण की जावेगी।

6. समस्त आंचलिक कार्यालय अधीनस्थ मंडी समितियों व तकनिकी संभागों में पदस्थ 01.01.2005 व उसके पश्चात् नियुक्त राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हे PRAN खाते आवंटित नही हुए है उनके PRAN खाते दिनांक 15.12.2022 तक खुलवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

7. समस्त संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय उपरोक्त कार्य के संचालन हेतु अपने स्तर से एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे जो इस कार्य की सतत् निगरानी करेंगे।

8. इस प्रक्रिया के संबंध में आंचलिक कार्यालय के लेखा शाखा में पदस्थ 02 अधिकारी/कर्मचारी हेतु एकदिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 30.11.2022 को मुख्यालय भोपाल में किया जाएगा व प्रक्रिया क्रियान्वयन के शुरूआती 2 माह तक गुगल मीट द्वारा प्रगति की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर की जावेगी।

उपरोक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाली समस्याओ/प्रश्नों आदि के लिये कार्यालयीन समय में मुख्यालय में पदस्थ श्री राहुल कुमार चौहान, लेखापाल से मार्गदर्शन (8982713841) प्राप्त कर सकते है।

कार्यवाही प्रबंध संचालक महोदया द्वारा अनुमोदित

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अपर संचालक (वित्त)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल